**भारतीय रिज़र्व बैंक**

**सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग**

**अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग**

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(एफ़एक्यू) – भारत

**सामान्य सूचना**

समन्वित संविभागीय निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) के तत्वावधान में आयोजित एक स्वैच्छिक डेटा संग्रह कार्य है। सीपीआईएस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में संविभागीय निवेश के आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करना है - यानि इक्विटी और निवेश फंड शेयरों, दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों और लघुकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में संविभागीय निवेश संपत्तियों की होल्डिंग और सावधि ऋण प्रतिभूतियां और समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इन आंकड़ों को उपलब्ध कराना है। अतः, सीपीआईएस सीमा पार किससे किसको के आंकड़े विकसित करने के उद्देश्य का समर्थन करता है और वित्तीय अंतर्संबंधों की बेहतर समझ में योगदान देता है।

भारत वर्ष ने 2004 से आईएमएफ़ के वार्षिक सीपीआईएस में भाग लेना शुरू किया है। इसके बाद, G-20 डेटा गैप्स इनिशिएटिव (डीजीआई) के तहत आईएमएफ़ की सिफारिश के अनुसार, भारत वर्ष 2014 से विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) के तहत इसकी प्रतिबद्धता के अनुसार सीपीआईएस की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टिंग करता है । भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की ओर से आईएमएफ़ को सीपीआईएस डेटा प्रस्तुत करता है।

**गोपनीयता खंड**

सीपीआईएस के तहत एकत्रित इकाई-वार जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और केवल समेकित योग ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईएमएफ़ को प्रस्तुत किए जाते हैं।

**सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए पात्र संस्थाएं और आवश्यकताएं**

**प्र.1: सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करने के लिए कौन सी संस्थाएं पात्र हैं?**

**उत्तर:** वर्तमान में सीपीआईएस के तहत बैंकों, म्यूचुअल फंड कंपनियों, गैर-वित्तीय कंपनियों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और बीमा कंपनियों का सर्वेक्षण किया जाता है।

**प्र.2. सर्वेक्षण की आवृत्ति क्या है?**

**उत्तर:** वर्तमान में, नवीनतम वित्तीय वर्ष (एफ़वाई) के **मार्च -अंत** और **सितंबर- अंत** की स्थिति को जानने के लिए भारत में **अर्ध-वार्षिक** सर्वेक्षण किया जाता है।

**प्र.3. क्या वैकल्पिक निवेश विधियों (एआईएफ) को सीपीआईएस के तहत रिपोर्ट करनी चाहिए?**

**उत्तर:** हां, क्योंकि एआईएफ को गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के अंतर्गत माना जाता है।

**सर्वेक्षण शुरू करने का विवरण**

**प्र.4. मुझे कैसे पता चलेगा कि सर्वेक्षण शुरू हो गया है?**

**उत्तर:** रिज़र्व बैंक नवीनतम संदर्भ अवधि के लिए सीपीआईएस के शुरुआत के बारे में सूचित करने के लिए रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी से सभी पात्र संस्थाओं को ईमेल भेजेगा। संस्थाओं को मेल के साथ संलग्न नवीनतम सर्वेक्षण अनुसूची को भरना होगा और सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर भेजना होगा।

**प्र.5. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक जमा की गई है या नहीं?**

**उत्तर:** सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिज़र्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर विधिवत भरी हुई सर्वेक्षण अनुसूची (Excel आधारित) भेजने के बाद, उत्तरदाता को सिस्टम जनित पावती प्राप्त होगी। इस संबंध में अलग से कोई मेल नहीं भेजा जाएगा। यदि पावती में किसी त्रुटि का उल्लेख किया गया है, तो उत्तरदाता को उल्लेखित त्रुटि को सुधार कर फॉर्म को फिर से जमा करना होगा। सुधार के बाद, उत्तरदाता को एक सफल प्रसंस्करण पावती ईमेल प्राप्त होगी।

**प्र.6. सीपीआईएस के शुरुआत की टाइमलाइन क्या है?**

**उत्तर:** एक वित्तीय वर्ष के मार्च अंत और सितंबर अंत में रिपोर्टिंग संस्थाओं के आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अर्धवार्षिक रूप से सीपीआईएस आयोजित किया जाता है। सामान्य तौर पर, **उस वर्ष के मार्च अंत और सितंबर अंत की स्थिति के लिए सर्वेक्षण क्रमशः 01 जून और 01 दिसंबर को शुरू किया जाता है।**

**प्र.7. सीपीआईएस में भाग लेने की नियत तारीख क्या है?**

**उत्तर:** सामान्य तौर पर, **मार्च अंत और सितंबर अंत की स्थिति के लिए** सीपीआईएस में भाग लेने की नियत तारीख **क्रमशः उस वर्ष की 15 जुलाई और 31 दिसम्बर है।**

**प्र.8.** **क्या होगा यदि रिपोर्टिंग इकाई ईमेल द्वारा सर्वेक्षण प्रश्नावली की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त नहीं करती है?**

**उत्तर:** यदि रिपोर्टिंग इकाई को सर्वेक्षण प्रश्नावली का सॉफ्ट-फॉर्म प्राप्त नहीं होता है, तो वे इसे आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर ‘[विनियामक रिपोर्टिंग](https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/BS_ListOfAllReturns.aspx)’-🡪 ‘रिटर्न्स की सूची’-🡪 ‘CPIS – Survey Schedule’ [या '[फॉर्म](https://www.rbi.org.in/hindi/Scripts/Forms.aspx)' (होम पेज के नीचे 'अन्य लिंक' के तहत उपलब्ध) और उप-शीर्ष 'सर्वेक्षण'] से डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल: [cpis@rbi.org.in](mailto:cpis@rbi.org.in) पर अनुरोध भेज सकते हैं।

**सीपीआईएस में भाग लेते समय याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें**

**प्र.9. सर्वेक्षण प्रश्नावली भरते समय रिपोर्टिंग संस्थाओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?**

**उत्तर:** रिपोर्टिंग संस्थाओं को सर्वेक्षण प्रश्नावली भरने और जमा करने के लिए नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन करना चाहिए:

1. कंपनी को नवीनतम सर्वेक्षण प्रश्नावली का उपयोग करना चाहिए, जो किसी भी मैक्रो को शामिल किए बिना **.xls प्रारूप** में है।
2. कंपनी को नीचे दिए गए चरणों का पालन करके Excel 97-2003 वर्कबुक अर्थात, .xls प्रारूप में में सर्वेक्षण प्रश्नावली को सेव करना चाहिए:
3. **Office Button / File पर जाए → Save As → Save As type**
4. “**Excel 97-2003 Workbook**” चुने और **Save the survey schedule in .xls प्रारूप में** सर्वेक्षण प्रश्नावली को सेव करें।
5. कंपनी से अनुरोध है कि सर्वेक्षण प्रश्नावली प्रस्तुत करते समय **किसी Macro को** **शामिल न करें।**
6. किसी अन्य प्रारूप (.xls प्रारूप के अलावा) में प्रस्तुत सर्वेक्षण कार्यक्रम को सिस्टम द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण प्रश्नावली में दी गई सभी सूचनाएं पूर्ण हैं और कोई सूचना छूटी नहीं है।
8. आवश्यक विवरण भरने के बाद, उत्तरदाता संस्थाओं को सर्वेक्षण प्रश्नावली में मौजूद घोषणा को भरना होता है, जो यह सत्यापित करने में मदद करता है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने से पहले इकाई द्वारा दर्ज की गई जानकारी की पुन: पुष्टि की जाती है। यह डेटा प्रविष्टि त्रुटियों, छूटे हुए डेटा और अन्य त्रुटियों से बचने में मदद करता है।

**सीपीआईएस के तहत क्या रिपोर्ट करें?**

**प्र.10. क्या हमें रिपोर्टिंग इकाई की किसी विशेष शाखा के लिए डेटा रिपोर्ट करनी चाहिए या इकाई की समेकित डेटा रिपोर्ट करनी चाहिए?**

**उत्तर:** भारत में सभी शाखाओं/कार्यालयों को शामिल करते हुए, **इकाई स्तर पर एक समेकित डेटा** प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**प्र.11. सीपीआईएस के अंतर्गत कौन-सी सूचना दी जानी चाहिए?**

**उत्तर:** सर्वेक्षण **असंबद्ध अनिवासियों द्वारा जारी प्रतिभूतियों** अर्थात असंबंधित अनिवासियों द्वारा जारी और निवासियों के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियां, में किए गए घरेलू निवासियों के संविभागीय निवेश परिसंपत्तियों का विवरण एकत्र करता है।

**प्र.12. संविभागीय निवेश संपत्तियों को किस मूल्य पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए?**

**उत्तर:** संविभागीय निवेश परिसंपत्तियों को संदर्भ अवधि के अंत में **मार्क टू मार्केट** आधार पर, प्रतिभूतियों के प्रकारों जैसे इक्विटी प्रतिभूतियां, अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ) और दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां (एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ) और जारीकर्ता के निवास का देश, में ब्योरेवार रिपोर्ट किया जाना आवश्यक है।

**प्र.13: सीपीआईएस में डेटा रिपोर्टिंग की इकाई क्या है?**

**उत्तर:** रिपोर्टिंग संस्थाओं को **सर्वेक्षण प्रश्नावली** **में उल्लिखित इकाई में डेटा की रिपोर्टिंग** करनी चाहिए (उदाहरण के लिए, INR लाख) ।

**प्र.14. यदि प्रतिवादी इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय** **निवेश संपत्ति नहीं है, तो क्या उन्हें सर्वेक्षण में भाग लेने की आवश्यकता है?**

**उत्तर:** यदि प्रतिक्रिया देने वाली इकाई के पास संदर्भ अवधि के दौरान कोई संविभागीय निवेश संपत्ति नहीं है, तो उस इकाई को सर्वेक्षण अनुसूची में दिए गए निर्देश के अनुसार रिजर्व बैंक की जेनेरिक ईमेल आईडी पर **NIL** सर्वेक्षण अनुसूची जमा करना आवश्यक है।.

**प्र.15.** **यदि इकाई की बैलेंस शीट जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं की जाती है तो सीपीआईएस में कौन सी जानकारी रिपोर्ट की जानी चाहिए?**

**उत्तर:** यदि इकाई के खातों को जमा करने की नियत तारीख से पहले ऑडिट नहीं किया जाता है, तो उन्हें **गैर-लेखापरीक्षित (अनंतिम) खाते** के आधार पर सर्वेक्षण में रिपोर्ट करना चाहिए।

**कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ और अवधारणाएँ**

**प्र.16. इक्विटी प्रतिभूतियों में क्या रिपोर्ट करना है?**

**उत्तर:** इक्विटी में सभी उपकरण और रिकॉर्ड होते हैं जो सभी लेनदारों के दावों को पूरा करने के बाद एक निगम या अर्ध-निगम के अवशिष्ट मूल्य पर दावों को स्वीकार करते हैं। इक्विटी को सूचीबद्ध शेयरों, असूचीबद्ध शेयरों और अन्य इक्विटी में विभाजित किया जा सकता है। सूचीबद्ध और असूचीबद्ध दोनों शेयर इक्विटी प्रतिभूतियां हैं। इक्विटी प्रतिभूतियां को आमतौर पर शेयर या स्टॉक कहा जाता है। अन्य इक्विटी वह इक्विटी है जो प्रतिभूतियों के रूप में नहीं है।

**प्र.17. इक्विटी प्रतिभूतियों के तहत क्या विचार किया जाना चाहिए?**

**उत्तर:** निम्नलिखित इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत शामिल हैं:

* साधारण शेयर।
* स्टॉक्स।
* भाग लेने वाले वरीयता शेयर।
* म्युचुअल फंड और निवेश ट्रस्ट में शेयर/इकाइयां।
* निक्षेपागार रसीदें (उदाहरण के लिए, अमेरिकी निक्षेपागार रसीदें) अनिवासियों द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को दर्शाती हैं।
* प्रतिभूतियों को रेपो के तहत बेचा जाता है या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत "उधार" दिया जाता है।
* रिवर्स रेपो या प्रतिभूति उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत और बाद में किसी तीसरे पक्ष को बेची गई प्रतिभूतियों को नकारात्मक होल्डिंग के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

**प्र.18. इक्विटी प्रतिभूतियों के तहत क्या शामिल नहीं होना चाहिए?**

**उत्तर:** इक्विटी प्रतिभूतियों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:

* एक अनिवासी उद्यम द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियां जो उन प्रतिभूतियों के निवासी स्वामी से संबंधित हैं, उन्हें इस सर्वेक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए।
* गैर-प्रतिभाग करने वाले वरीयता शेयर।
* रिवर्स रेपो के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।
* उधार व्यवस्था के तहत अधिग्रहीत प्रतिभूतियां।

**प्र. 19. ऋण प्रतिभूतियों में क्या रिपोर्ट करना है?**

**उत्तर:** ऋण प्रतिभूतियाँ परक्राम्य उपकरण हैं जो ऋण के साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं। इनमें बिल, बॉन्ड, नोट्स, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पत्र, डिबेंचर, परिसंपत्ति-समर्थित प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार के साधन और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं, जिनका आमतौर पर वित्तीय बाजारों में कारोबार होता है।

**प्र.20. दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियां क्या हैं?**

**उत्तर:** **एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वता** वाली ऋण प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें बॉन्ड, डिबेंचर और नोट जो आम तौर पर धारक को एक निश्चित नकदी प्रवाह या अनुबंधित रूप से निर्धारित परिवर्तनीय धन आय का बिना शर्त अधिकार देते हैं, शामिल हैं।

**प्र.21. अल्प-कालिक ऋण प्रतिभूतियां क्या हैं?**

**उत्तर: एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता** वाली ऋण प्रतिभूतियों को अल्पकालिक ऋण प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अल्पकालिक प्रतिभूतियों के उदाहरण ट्रेजरी बिल, जमा के परक्राम्य प्रमाण पत्र, बैंकरों की स्वीकृति, वचन पत्र और वाणिज्यिक पत्र हैं।

**प्र.22. हमें प्रतिभूतियों की रिपोर्ट किस मूल्य पर देनी चाहिए - अंकित मूल्य या बाजार मूल्य?**

**उत्तर:** 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए इक्विटी प्रतिभूतियों को **घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर रिपोर्ट** किया जाना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध उद्यमों के लिए, इक्विटी प्रतिभूतियों के आपके होल्डिंग के बाजार मूल्य की गणना 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] में प्रचलित मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार मूल्य का उपयोग करके की जानी चाहिए। असूचीबद्ध उद्यमों के लिए, यदि 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो आपके इक्विटी प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य का अनुमान प्रश्न 23 में दिए गए छह वैकल्पिक तरीकों में से एक का उपयोग करके गणना की जा सकती है।

**ऋण प्रतिभूतियों** को **घरेलू मुद्रा में परिवर्तित बाजार कीमतों पर**, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए, दर्ज किया जाना चाहिए। सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के लिए, 31 मार्च/30 सितंबर, [वर्ष] को कारोबार की समाप्ति पर उद्धृत बाजार मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। जब बाजार मूल्य अनुपलब्ध हों (उदाहरण के लिए, असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के मामले में), उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए (जो ऐसे उपकरणों के बाजार मूल्य का एक अनुमान है) का उपयोग किया जाना चाहिए:

* ब्याज की बाजार दर का उपयोग करके भविष्य के नकदी प्रवाह को वर्तमान मूल्य पर घटाना और
* समान वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बाजार मूल्यों का उपयोग करना।

**प्र23. इक्विटी प्रतिभूतियों के लिए बाजार मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है?Box 3.1 Approaches to Approximating Market Prices**

**उत्तर:** जब वास्तविक बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एक अनुमान की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में शेयरधारकों की इक्विटी के बाजार मूल्य का अनुमान लगाने के वैकल्पिक तरीकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) **हालिया लेन-देन मूल्य:** असूचीबद्ध उपकरणों में समय-समय पर व्यापार हो सकता है, और पिछले वर्ष के भीतर हाल की कीमतें, जिस पर उनका कारोबार किया गया था, का उपयोग किया जा सकता है। हाल की कीमतें मौजूदा बाजार मूल्यों का एक अच्छा संकेतक हैं, जहां तक स्थितियां अपरिवर्तित हैं। इस पद्धति का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक लेनदेन की तारीख से निगम की स्थिति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे-जैसे समय बीतता है और स्थितियां बदलती हैं, हालिया लेन-देन की कीमतें तेजी से परिवर्तनशील हो जाती हैं।

(ख) **शुद्ध संपत्ति मूल्य:** गैर-ट्रेडेड इक्विटी का मूल्यांकन उद्यम के जानकार प्रबंधन या निदेशकों द्वारा किया जा सकता है या स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा बाजार मूल्य पर कुल देनदारियों (इक्विटी को छोड़कर) से वर्तमान मूल्य पर कुल संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रदान किया जा सकता है। मूल्यांकन हाल ही में (पिछले वर्ष के भीतर) होना चाहिए और अधिमानतः अमूर्त संपत्तियों को शामिल करना चाहिए।

(ग) **वर्तमान मूल्य और मूल्य-से-कमाई अनुपात:** गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के वर्तमान मूल्य का अनुमान भविष्य के मुनाफे में कटौती करके लगाया जा सकता है। अपने सरलतम रूप में, मूल्य की गणना करने के लिए असूचीबद्ध उद्यम की हाल की पिछली आय (सुचारू) के लिए बाजार या उद्योग मूल्य-से-आय अनुपात को लागू करके इस पद्धति का अनुमान लगाया जा सकता है। यह तरीका सबसे उपयुक्त है जिसमें बैलेंस शीट की जानकारी की कमी होती है लेकिन कमाई के आंकड़े अधिक आसानी से उपलब्ध होते हैं।

घ) **बाजार पूंजीकरण पद्धति:** उद्यमों द्वारा रिपोर्ट किए गए बुक वैल्यू को सांख्यिकीय संकलक द्वारा समग्र स्तर पर समायोजित किया जा सकता है। अनट्रेडेड इक्विटी के लिए, "पुस्तक मूल्य पर स्वयं के फंड" पर जानकारी उद्यमों से एकत्र की जा सकती है, और फिर उपयुक्त मूल्य संकेतकों के आधार पर अनुपात के साथ समायोजित किया जा सकता है, जैसे समान संचालन वाली समान अर्थव्यवस्था में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार पूंजीकरण का पुस्तक मूल्य से अनुपात। वैकल्पिक रूप से, परिसंपत्तियां जो उद्यम लागत पर ले जाते हैं (जैसे भूमि, संयंत्र, उपकरण, और सूची) को उपयुक्त परिसंपत्ति मूल्य सूचकांकों का उपयोग करके वर्तमान अवधि की कीमतों में पुनर्मूल्यांकित किया जा सकता है।

(च) **बुक वैल्यू पर स्वयं के फंड:** इक्विटी के मूल्यांकन के लिए यह विधि प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की पुस्तकों में दर्ज उद्यम के मूल्य का उपयोग करती है, (ए) पेड-अप कैपिटल (उद्यम जारी करने वाले किसी भी शेयर को छोड़कर) के योग के रूप में अपने आप में रखता है और शेयर प्रीमियम खातों सहित); (बी) उद्यम की बैलेंस शीट में इक्विटी के रूप में पहचाने जाने वाले सभी प्रकार के भंडार (निवेश अनुदान सहित जब लेखांकन दिशानिर्देश उन्हें कंपनी के भंडार मानते हैं); (सी) संचयी पुनर्निवेश आय; और (डी) खातों में स्वयं के फंड में शामिल लाभ या हानि, चाहे पुनर्मूल्यांकन भंडार या लाभ या हानि के रूप में। संपत्ति और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन जितना अधिक बार होता है, बाजार मूल्यों के करीब उतना ही करीब होता है। डेटा जो कई वर्षों से पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, वह बाजार मूल्यों का खराब प्रतिबिंब हो सकता है।

(छ) **वैश्विक मूल्य का विभाजन:** वैश्विक उद्यम समूह का वर्तमान बाजार मूल्य एक्सचेंज पर उसके शेयरों के बाजार मूल्य पर आधारित हो सकता है, जिस पर इसकी इक्विटी का कारोबार होता है, अगर यह एक सूचीबद्ध कंपनी है। जहां एक उपयुक्त संकेतक की पहचान की जा सकती है (उदाहरण के लिए, बिक्री, शुद्ध आय, संपत्ति, या रोजगार), वैश्विक मूल्य को प्रत्येक अर्थव्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है जिसमें इसका प्रत्यक्ष निवेश उद्यम है, उस सूचक के आधार पर, यह धारणा बनाकर कि बिक्री, शुद्ध आय, संपत्ति या रोजगार के लिए शुद्ध बाजार मूल्य का अनुपात पूरे अंतरराष्ट्रीय उद्यम समूह में एक स्थिर है। (प्रत्येक सूचक दूसरों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न परिणाम प्राप्त कर सकता है)।

**सीपीआईएस से संबंधित पूछताछ के लिए संपर्क विवरण**

**प्र24. सीपीआईएस से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में किससे संपर्क करें?**

**उत्तरः** सीपीआईएस पर प्रश्न/स्पष्टीकरण आरबीआई से निम्नलिखित पते पर मांगे जा सकते हैं:

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति प्रभाग (आईआईपीडी)

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)

भारतीय रिज़र्व बैंक

सी-9/5वीं मंजिल, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व

मुंबई, महाराष्ट्र - 400 051

ईमेल : [cpis@rbi.org.in](mailto:cpis@rbi.org.in)

**बैंकों के लिए विशेष निर्देश**

**प्र25**. **क्या भारत के बाहर बैंकों की शाखाओं द्वारा किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?**

**उत्तर**: नहीं, भारत के बाहर स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा किए गए निवेश को सीपीआईएस में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

**प्र26. क्या भारत के आईएफएससी क्षेत्र में स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा शेष विश्व (अर्थात, भारत को छोड़कर) में किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?**

**उत्तर**: हाँ, इसे शामिल किया जाना चाहिए।

**प्र27. क्या भारत के गैर आईएफएससी क्षेत्र में स्थित आपके बैंक की शाखाओं द्वारा आईएफएससी क्षेत्र में स्थित अन्य शाखाओं में किए गए पोर्टफोलियो निवेश परिसंपत्तियों को सीपीआईएस में शामिल किया जाना चाहिए?**

**उत्तर**: नहीं, इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे निवासी से निवासी लेनदेन माना जाएगा।